न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 4 / 2025

बउनवान

सरकार जर्ये रविन्द्र कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, (बारां) (प्रार्थी)

बनाम

श्री हरीश प्रजापत पुत्र भवानी प्रजापति, निवासी ग्राम समसपुर तह. बारां जिला बारां

(अप्रार्थी)

न्यायालय जिला कलेक्टर बाराँ (राज०)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) के तहत

उपस्थिति :– 1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

2. संदीप शुक्ला एड. (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 28.07.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.12.2024 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढते व्यावसायिक दुरूपयोग की शिकायत के क्रम मैं प्रार्थी हमराह श्री संतोष कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री धीरज कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक श्रीराम ई–मित्र (CSC Center) पर पहुंचे। मौके पर हरीश प्रजापत पुत्र भवानी प्रजापति, निवासी ग्राम समसपुर तह. बारां उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर एक बड़ी मोटर रिफलिंग मशीन मिली जिसे परिवादी द्वारा संयुक्त टीम को देखकर मौके से भगा दिया गया। जांच में मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के भाग 3 के बिन्दु संख्या 3, 4, 5 व 7 का उल्लंघन पाये जाने पर 11 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं छोटी रिफिल नलिका मौके पर जब्त सरकार कर रूबरू कोयला इण्डेन ग्रामीण वितरण गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दिये जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डरो को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ तथा अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक द्वारा जवाब पेश नही कर सीधे बहस करना चाहा।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी अनुपस्थित रहे। अतः हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार रसद की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरूपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1998 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा 11 गैस सिलेण्डर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.08.27 11:15:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाराँ (राज०)

छोटी रिफिल नलिका को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें। जांच कार्यवाही के दौरान मौके पर एक बड़ी मोटर रिफलिंग मशीन मिली जिसे परिवादी द्वारा संयुक्त टीम को देखकर मौके से भगा दिया गया। अप्रार्थी के उक्त कृत्य हेतु अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दंडित किया जावे।

हमने एकपक्षीय बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते है कि जप्तशुदा INDEN गैस सिलेण्डर नम्बर 089401, INDEN गैस सिलेण्डर नम्बर 750905, INDEN गैस सिलेण्डर नम्बर 037883, INDEN गैस सिलेण्डर नम्बर 993836, INDEN गैस सिलेण्डर नम्बर 191997, INDEN गैस सिलेण्डर नम्बर 372179, INDEN गैस सिलेण्डर नम्बर 663561 INDEN गैस सिलेण्डर नम्बर 39, INDEN गैस सिलेण्डर नम्बर 496774, INDEN गैस सिलेण्डर नम्बर 741409, INDEN गैस सिलेण्डर नम्बर 497668 का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/– रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को वापस लौटाया जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नही लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक कोयला इण्डेन ग्रामीण वितरण गैस एजेंसी को कीमत पर दिया जाकर उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें। अप्रार्थी द्वारा एक बड़ी मोटर रिफलिंग मशीन मौके से अन्यत्र भिजवाने के दुष्कृत्य हेतु अप्रार्थी को पृथक से 10000/– रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी से उक्त राशि वसूल की जाकर राजकोष में निर्धारित मद में जमा करवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां

जिला कलक्टर बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.08.27 11:15:16 IST
Reason: SelfAttested